

23<sup>01</sup>/<sub>2024</sub>


पत्रावली वादीगण व वकील वादीगण की और से जज मिश्रल तबवी के साथ जज धारा 152 CPC पेश होने पर तलब होकर पेश हुई। वकील वादीगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपलोकन से पाया गया कि न्यायालय हाजा द्वारा पारित डिक्ली सिंग 21/07/2023 में हुकतर्क नामा दिनांक 21/04/2022 के अनुसार आवेदक का शतकार घोषित किया गया था।

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर व तारीख अहव  
जो इस हुक्म की  
तामील में जारी हुए

किन्तु सहवन से हकलक नामा दिनांक  
21/04/2022 डिही का भाग समझा जावे,  
डिही जारी करते समय छुट गया। जिसे  
दुरुस्त किमा जाना उचित है। अतः प्राची  
का प्राचीन पत्र धारा 152 CPC - मामदीव  
में स्वीकार किमा जाता है। सेसोधित डिही  
जारी हो। पत्रावली का तन्मील दफतर  
दाखिल हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना